# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

**पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा** आर.ए.एस.

**अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 155/2016**

1. सरकार जरीये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

**– – प्रार्थी**

**–:: बनाम ::–**

1. श्री बृजमोहन पुत्र सुरजाराम जाति यादव साकिन 11 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

**– – अप्रार्थी**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**–:: उपस्थित अधिवक्ता ::–**

1. श्री पैरोकार राज — वादी
2. श्री प्रतिवादी संख्या 1 एक पक्षीय दिनांक 10.01.2017

## – :: निर्णय ::–

**दिनांक :– 11.04.2017**

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. का वाद अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम चक 16 एम.एल. के खता संख्या 60/23 के मुरब्बा नम्बर 17 किला नम्बर 14/.092, 15/.092, 18/.169 कुल 0.353 हैक्टर खातेदार के नाम से कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है।

उक्त वर्णित खातेदारी भूमि का उपयोग कृषि कार्य में न होकर मौके पर सड़के, आवासीय मकान एवम् प्लाट काटकर अकृषि कार्य में किया जा रहा है, मौके पर मकान बना कर/प्लाट काटकर अकृषि कार्य किया जा रहा है।

उक्त वर्णित आराजी काबिले काश्त है, केवल मात्र कृषि कार्य के लिये दी गई है इसे बिना सक्षम अधिकारी से सम्परिवर्तन कराये/स्वीकृति प्राप्त किये अकृषि कार्य में उपयोग किया जा रहा है। सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अकृषि उपयोग में लेना गैर कानूनी है।

उक्त वर्णित कुल 2.656 हैक्टर रकबा मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का रामनगर अनुसार बिना स्वीकृति/सम्परिवर्तन कराये अकृषि उपयोग में किया जा रहा है। जो कानून की अवहेलना हैं, उक्त वर्णित रकबा से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर राज्य हित में अधिग्रहण करने के आदेश फरमाये जावे। वाद पत्र के साथ में तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ने अपना शपथपत्र, सम्बन्धित पटवारी हल्का की रिपोर्ट, खसरा गिरदावरी एंव जमाबन्दी की प्रति सलंग्न की है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर

लगातार ..... 2

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ नोटिस सूचित किया गया। प्रतिवादी स्वयं उपस्थित आकर जबाब प्रस्तुत नहीं करनें का अंकन किया जिसके कारण प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वद वाद पत्र में कोई प्रतिवादी नहीं होनें के कारण तनकीयात नहीं बनाई जाकर राज पैराकार की बहस सुनी गई दौराने बहस पैरोकार राज द्वारा वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए वाद वादी स्वीकार किये जानें हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकर पाया कि विवादास्पद भूमि पर कृषि जोत का कार्य नहीं होकर अकृषि उपयोग कार्य हो रहा है। बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लिये मौके पर प्लाट काटकर मकान बनाना आदि का कार्य गैरकृषि कार्य की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी द्वारा खातेदारी शर्तो का स्पष्ट उल्लघंना की गई हैं अतः वादी वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

अतः वादी वादी स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत चक 16 एम.एल. के खता संख्या 60/23 के मुरब्बा नम्बर 17 किला नम्बर 14/.092, 15/.092, 18/.169 कुल 0.353 हैक्टर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहण कर बहक सरकार (सिवाय चक) घोषित की जाती है।

अतः उक्त अधिग्रहण शुदा भूमि के सम्बंध में तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है, कि वे उक्त भूमि को अपने कब्जा में लेकर राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद रिपोर्ट तहसील दाखिल दफ्तर हो

आदेश आज दिंनाक 11.04.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर।